

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क. :- 844 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 22 / 09 / 2014)

म.प्र.राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।
जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. सुशील कुमार उर्फ राजू पुत्र जबर सिंह बघेल उम्र 33 वर्ष।
निवासी :- मुगलपुरा इटावा, थाना :- चौबिया, जिला-इटावा, (उ.प्र.)।
..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 22 / 08 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी सुशील कुमार उर्फ राजू पर धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 07 / 05 / 2014 को रात्रि लगभग 11:20 बजे मंगे का ढावा भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग चक तुकेड़ा के पास सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक संजय गौड़ की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 07 / 05 / 2014 को रात्रि लगभग 11:20 बजे मंगे का ढावा भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग चक तुकेड़ा के पास सार्वजनिक स्थान पर, वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.के./1675 में टक्कर मारकर संजय गौड़ को उपहति कारित करने की देहाती नालसी फरियादी पप्पू उर्फ जोगा सिंह द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, आरोपी वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 के चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 के चालक के विरुद्ध थाना मालनपुर में अपराध क्रमांक 98 / 2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत संजय गौड़ की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी

सुशील को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी सुशील द्वारा प्रस्तुत करने पर ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी पप्पू उर्फ जोगा सिंह, साक्षीगण निशान सिंह, भाग चन्द्र एवं प्राण सिंह के कथन लेखबद्ध किए गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त सुशील कुमार के विरुद्ध धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी सुशील कुमार उर्फ राजू ने दिनांक :- 07/05/2014 को रात्रि लगभग 11:20 बजे मंगे का ढावा भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग चक तुकेड़ा के पास सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक संजय गौड़ की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी जोगा सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/06/2015 से करीबन एक वर्ष पहले की शाम 11-11:30 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि रोड़ के नीचे एक ट्रक खड़ा था, तभी पीछे से मोटर साईकिल पर दो लोग आये और वह खड़े ट्रक के पीछे घुसकर टकरा गये। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसे होटल से थोड़े पीछे की चक तुकेड़ा की है। उसने

पुलिस को घटना की सूचना दी थी। इस वावत् लेखबद्ध की गई देहाती नालसी प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी जोगा सिंह अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 07/05/2014 को करीबन 11:20 बजे उसके ढावे के सामने एक ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 का चालक अपने ट्रक को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और लापरवाहीपूर्वक अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे उसके पीछे हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी.07/के.के./1675 का व्यक्ति टकरा कर नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर एवं पैर में चोट आई थी। साक्षी को देहाती नालसी प्र.पी.03 का बी से बी भाग एवं उसका पुलिस कथन प्र.पी.05 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उक्त सूचना एवं उक्त कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। फरियादी जोगा सिंह अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार फरियादी जोगा सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.03 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। फरियादी जोगा सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक के रूप में आरोपी सुशील उर्फ राजू की पहचान संबंधी एवं ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 के चालक द्वारा उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आरोपित घटना कारित करने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

09. अभियोजन साक्षी निशान्त सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 18/03/2016 से करीबन डेढ़ वर्ष पहले की होकर छः-साढ़े छः बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि दुर्घटनास्थल पर आहत ट्रक के पीछे पड़ा हुआ था, जिसे उसके द्वारा उठाकर एम्बुलेंस को सूचना दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे आज उक्त ट्रक एवं मोटर साईकिल का नम्बर याद नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.10 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उक्त कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। साक्षी निशान्त सिंह अ.सा.06 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 का चालक अपने ट्रक को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और लापरवाहीपूर्वक अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे उसके पीछे हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी.07/के.के./1675 का चालक उससे टकराकर गिर गया। साक्षी निशान्त सिंह अ.सा.06 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार साक्षी निशान्त सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.10 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। साक्षी निशान्त सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक के रूप में आरोपी सुशील उर्फ राजू की पहचान संबंधी एवं ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 के चालक द्वारा उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आरोपित घटना कारित करने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

10. अभियोजन साक्षी प्राण सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि मृतक संजय उसका लड़का था। दिनांक : 07/05/2014 को उसके गांव इकहरा में उसके रिश्तेदार के यहाँ पर शादी में गोहद मोटर साईकिल से गया था। साक्षी आगे कहता है कि मोटर साईकिल पर वह स्वयं अकेला था एवं स्वयं ही चला रहा था। मंगे के ढावे के पास पहुँचते ही उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था, जिसकी जानकारी उसे मालनपुर के दीवान जी ने आकर दी थी। तब उसे मालनपुर थाने के पुलिस वालों ने गोहद हॉस्पिटल भेजा था वहाँ से उसके लड़के को ग्वालियर रैफर कर दिया गया था, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी। साक्षी आगे कहता है कि फिर वह उसे प्राइवेट हॉस्पिटल गंगा नारायण में ले गये थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में उसे मृत्यु जांच में उपस्थित होने के लिए आवेदन पर उसके हस्ताक्षर कराये थे, जो प्र.पी.08 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं पुलिस ने नक्शा पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो प्र.पी.09 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्राण सिंह अ.सा.07 के मुख्य परीक्षण में दर्शित तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उसे घटना की जानकारी थाना मालनपुर के किसी प्रधान आरक्षक द्वारा दी गई थी। इस प्रकार वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर मात्र अनुश्रुत साक्षी होना दर्शित होता है। इस प्रकार उक्त साक्षी प्राण सिंह अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

11. अभियोजन साक्षी डिम्पल मौर्य अ.सा.10 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07/05/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में एसआई के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को उसे फरियादी पप्पू उर्फ जोगा सिंह द्वारा मंगे के ढावा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर, उसके द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 के चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/के.के./1675 के सवार को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की देहाती नालसी प्र.पी.03 लेखबद्ध की थी, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि जोगा सिंह अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 के चालक द्वारा उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से अचानक ब्रेक लगाकर आरोपित दुर्घटनाकारित करने संबंधी देहाती नालसी लेखबद्ध कराने के तथ्यों से इन्कार किया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में देहाती नालसी लेखक डिम्पल मौर्य अ.सा.10 एवं फरियादी जोगा सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

12. डिम्पल मौर्य अ.सा.10 का कहना है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक : 07/05/2014 को ही घटनास्थल से आरोपी सुशील कुमार से साक्षीगण के समक्ष मय दस्तावेज ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। कथित रूप से जब्ती के साक्षी आरक्षक क्रमांक 828 विक्रम सिंह अ.सा.04 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य द्वारा दिनांक : 08/05/2014 को उसके एवं आरक्षक जगराम के समक्ष ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 जब्त किया गया था। इस प्रकार ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 दिनांक : 07/05/2014 को जब्त किया गया था, अथवा दिनांक : 08/05/2014 को, इस वावत् साक्षी विक्रम सिंह अ.सा.04 एवं

विवेचक डिम्पल मौर्य अ.सा.10 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। इसी प्रकार कथित जब्ती के अन्य साक्षी आरक्षक क्रमांक 257 जगराम सिंह अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि जब्ती की कार्यवाही दिनांक : 07/05/2014 को की गई थी। जगराम अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि आरोपी सुशील थाने में उपस्थित हुआ था और उससे जब्तशुदा ट्रक लगभग एक दिन पहले से थाने परिसर में खड़ा हुआ था। जगराम अ.सा.01 का यह भी कहना है कि जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 दिनांक : 07/05/2014 को दोपहर 12:10 बजे बनाये गये थे। जबकि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर जब्ती का समय दिनांक : 08/05/2014 को दोपहर 12:10 बजे का होना अंकित है, जिस पर ओवर – राइटिंग की गई है। इस प्रकार ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 घटनास्थल से जब्त किया गया था, अथवा आरोपी द्वारा थाना मालनपुर में, प्रस्तुत करने पर जब्त किया गया था, इस वावत् एवं उक्त ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 दिनांक : 07/05/2014 को जब्त किया गया था अथवा दिनांक : 08/05/2014 को, इस वावत् जब्तीकर्ता डिम्पल मौर्य अ.सा.10, जब्ती के साक्षी जगराम अ.सा.01 एवं विक्रम सिंह अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

13. डॉ.एम.एल.माहौर अ.सा.08 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक संजय को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है। इसी प्रकार साक्षी रामकरन अ.सा.03 जब्तशुदा वाहन के मैकेनिकल जांच के औपचारिक साक्षी होने के कारण उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है। साक्षी भागचन्द्र अ.सा.05 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुशील उर्फ राजू ने दिनांक :- 07/05/2014 को रात्रि लगभग 11:20 बजे मंगे का ढावा भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग चक तुकेड़ा के पास सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक संजय गौड़ की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी सुशील कुमार उर्फ राजू के विरुद्ध धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं.

के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सुशील कुमार को धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

17. प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/5688 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी त्रिभुवन नारायण के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। जब्ती पत्रक दिनांक : 17/05/2014 प्र.पी.07 एवं जब्ती पत्रक दिनांक : 09/05/2014 के अनुशरण में जब्तशुदा सीलबंद पोटलिया मूल्यहीन होने से अपील ना होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद